महत्वपूर्ण एवं खास

ट्रक से भिड़ी जवानों से भरी बस, 15 घायल

धमतरी (आरएनएस)। जिले के एनएच-30 में पुलिस जवानों से भरी बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 15 जवान घायल हो गये है जिनमें दो महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। वहीं दो जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज धमतरी जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना अर्जुनी थाना क्षेत्र के संबलपुर की यह घटना बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को 20 जवान को लेकर एक बस रायपुर से सुकमा जा रहे थे। इस दौरान अर्जुनी थाना क्षेत्र के संबलपुर के पास नेशनल हाईवे में सामने से आ रही ट्रक से बस की भिड़ंत हो गई। बताया जाता है कि बस चालक ने अपने सामने जा रही एक ट्रक को ओव्हरटेक किया जिसके चलते सामने से आ रही दूसरी ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 15 जवान घायल हो गये है जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद मौके पर तत्काल सुकमा पुलिस पहुंची और घायलों को उपचार को लिए धमतरी के जिला अस्पताल भिजवाया।

भटगांव में 18 अक्टूबर को होगा कौशल पखवाड़ा शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिले में संचालित कौशल विकास योजना तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, नल जल मित्र कार्यक्रम, आजीविका विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रगति लाने तथा ग्रामीण स्तर के युवाओं तक कौशल प्रशिक्षण की पहुंच बनाने के उद्देश्य से जिले में कौशल पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया जाना निर्धारित है। इसके अनुसार 18 अक्टूबर को बिलाईगढ़ विकासखंड के जनपद पंचायत भटगांव के सभाकक्ष में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कौशल पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया जाएगा।

सारंगढ़ और बरमकेला में 17 अक्टूबर को होगा ब्लॉक स्तर महिला खेलकूद प्रतियोगिता

बिलाईगढ़ में 18 अक्टूबर को होगा ब्लॉक स्तर महिला खेलकूद प्रतियोगिता

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिले के खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग कार्यालय द्वारा विकासखंड स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगियों का आयोजन गुरुवार 17 अक्टूबर 2024 को सारंगढ़ एवं बरमकेला में तथा शुक्रवार 18 अक्टूबर 2024 को विकासखंड बिलाईगढ़ में होगा, जिसमें 9 से 18 आयु वर्ग की एवं 18 से 35 आयु वर्ग की बालिकाएं और महिलाएं सम्मिलित हो सकती हैं। महिला खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत एथलेटिक्स के अंतर्गत तवाफेंक, खोखो, फुटबाल, वालीबाल, बास्केटबाल, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, रस्साकशी, कुश्ती, हॉकी 100 मीटर और 400 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता पूर्णता निशुल्क है। इस प्रतियोगिता और आयोजन के संबंध में प्रभारी अधिकारी कौशल ठेठवार से मोबाइल नंबर 9977115799 पर संपर्क कर सकते हैं।

उल्टी-दस्त से अब तक सात ग्रामीणों की मौत

सुकमा-रायपुर (आरएनएस)। जिले में ग्रामीणों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोंटा विकासखंड के इतकल और उसकेवाया के बाद अब ओड़िशा सीमा के निकट, छिंदगढ़ विकासखंड के चितलनार गांव में पिछले 10 दिनों में जनजातीय समुदाय के सात ग्रामीणों की मौत उल्टी और दस्त के कारण हो चुकी है। इस गांव में हर 12 घंटे में एक ग्रामीण की मौत हो रही है, और कई लोग अभी भी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हैं।

नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 16 अक्टूबर को हुआ मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, 23 अक्टूबर तक कर सकते है दावा-आपत्ति

- त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए 24 अक्टूबर को होगा मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन
- 01 जनवरी 2024 के अर्हता तिथि के अनुसार तैयार होगी निर्वाचक नामावली
- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में प्रेस-वार्ता लेकर दी जानकारी

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रेस-वार्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन के संबंध में जानकारी दी। मौके पर अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय व डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी समीर बड़ा उपस्थित रहे।

कलेक्टर गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन नामावली तैयार/पुनरीक्षण किए जाने के संबंध में आयोग द्वारा कार्यक्रम प्रसारित किया गया है। जिसके अनुसार नगरीय निकाय हेतु प्रारंभिक निर्वाचक नामावली प्रकाशन की तिथि 16 अक्टूबर 2024 नियत है। इसी तरह 16 से 22 अक्टूबर 2024 तक प्रात: 10 से शाम 5 बजे एवं 23 अक्टूबर को प्रात: 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक ही दावा-आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 नवम्बर 2024 नियत है। प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण 8 नवम्बर 2024 अंतिम तिथि है एवं दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तिथि निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर है। नगरीय निकाय के निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 22 नवम्बर 2024 को नियत की गई है।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए 24 अक्टूबर को होगा मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, 29 अक्टूबर तक कर सकते है दावा-आपत्ति

कलेक्टर गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 7 विकासखण्ड रायगढ़, पुसौर, खरसिया, तमनार, लैलूंगा, घरघोड़ा एवं धरमजयगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 24 अक्टूबर 2024 को निर्वाचक नामावली मतदाता सूची 2024 का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। दावे/आपत्तियां 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक एवं अंतिम तारीख 29 अक्टूबर 2024 को प्रात: 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक ही प्राप्त की जाएगी। इसी तरह प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 8 नवम्बर 2024 है। दावे आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर किया जाना है। त्रिस्तरीय पंचायतों के मतदाता सूची 2024 का अंतिम प्रकाशन 29 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।

नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने हेतु अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 होगी। अर्थात 01 जनवरी 2024 के पश्चात 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने हेतु पात्र नहीं होंगे। साथ ही नगरीय निकायों/त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने हेतु विधानसभा के निर्वाचक नामावली में पहले से नाम जुड़ा होना आवश्यक है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म : कोतरारोड पुलिस आरोपी को किया गिरफ्तार

रायगढ़

थाना कोतरारोड में एक महिला द्वारा अंकित कुमार के खिलाफ शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया गया है। महिला का आरोप है कि अंकित कुमार से उसकी जान-पहचान वर्ष 2023 से हुई थी, जब वह जिंदल कंपनी में गार्ड के रूप में काम कर रहा था। अंकित ने उसे शादी का झांसा देकर सितंबर 2023 से उसके साथ रिश्ते में रहने की शुरुआत की।

कुछ समय बाद अंकित का ट्रांसफर तमनार हो गया, लेकिन वह फिर भी महिला के किराए के घर में आता-जाता रहा। सितंबर 2024 में अंकित ने महिला को स्पष्ट रूप से शादी से इनकार कर दिया और बताया कि वह किसी दूसरी महिला से शादी कर लिया है। इसके बाद वह पीड़िता से दूरी बनाने लगा। महिला द्वारा आरोपी के विरुद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद, थाना प्रभारी कोतरारोड़, निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आरोपी अंकित कुमार को एफआईआर की जानकारी मिलने पर वह छिपने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने मुखबिरों की मदद से उसे सक्ती जिले के आरकेएम प्लांट डभरा में गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित अंकित कुमार (पिता- राजेश साव, उम्र 24 वर्ष, निवासी- ग्राम बरकाकाना, थाना पतरात, जिला रामगढ़, झारखंड) को हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उसकी गिरफ्तारी में उप निरीक्षक कुसुम केवर्त, प्रधान आरक्षक करुणेश राय, आरक्षक चंद्रेश पांडे, और महिला आरक्षक श्यामा सिदार की विशेष भूमिका रही। पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निशुल्क कोचिंग सहायता योजना संचालित

- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रित संतान से मंगाए गए ऑनलाईन आवेदन

रायगढ़

छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु नि:शुल्क कोचिंग सहायता योजना योजनाएं मुख्य रूप से संचालित है। पात्रता मंडल में पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक अथवा उनके प्रथम दो संतानों को ही योजना का लाभ देय होगा। देय लाभ मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके संतानों को शैक्षणिक योग्यता अनुरूप प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे-पीएससी (लोक सेवा आयोग), सीजी व्यापम (छ.ग.व्यावसायिक परीक्षा मंडल), एसएससी (कर्मचारी चयन आयोग),आईबीपीएस (बैंकिंग), रेलवे, पुलिस भर्ती परीक्षा हेतु चयनित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से नि:शुल्क कोचिंग प्रदान किया जाना प्रावधानित है।

श्रम विभाग अंतर्गत छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत निर्माण मजदूरों का एवं असंगठित कर्मकार मंडल के अंतर्गत असंगठित कर्मकारों का पंजीयन किया जाता है। छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत 69,766 मजदूरों का पंजीयन हुआ है एवं असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत 70,244 मजदूरों का पंजीयन हुआ है। श्रमिक पंजीयन हेतु मुख्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता, लाईव फोटो, निर्माण श्रमिक हेतु स्व-घोषणा प्रमाण पत्र एवं स्वयं का मोबाईल नंबर आवश्यक है।

विभाग के अंतर्गत श्रमिक पंजीयन नि:शुल्क है एवं किसी भी सी.एस.सी. सेंटर अथवा किसी भी कम्प्यूटर के द्वारा किया जा सकता है। वर्तमान में शासन द्वारा श्रम विभाग के पंजीयन एवं योजनाओं के आवेदन हेतु मोबाईल एप्प श्रमेव जयते जारी किया गया है, जिसमें श्रमिक स्वत: ही अपना पंजीयन कर सकते है एवं पंजीकृत श्रमिक योजना हेतु आवेदन कर सकते है। उक्त आवेदन google playstore अथवा श्रम विभाग की वेबसाईट cglabour.nic पर उपलब्ध है।

आवश्यक दस्तावेज- प्रशिक्षणार्थी का आधार कार्ड, श्रमिक पंजीयन कार्ड, योजना के संबंध में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (श्रमिक का)एवं प्रशिक्षणार्थी का शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र/अंक सूची की प्रति संलग्न करना होगा।

साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा

छात्रों और नागरिकों को साइबर अपराधों के प्रति किया जागरूक, सुरक्षा उपायों पर जोर

- ग्राम टारपाली स्कूल और बोईरदादर चौक में आयोजित जागरूकता प्रोग्राम

रायगढ़

साइबर जन जागरूकता पखवाड़े के अंतर्गत आज ग्राम टारपाली के शासकीय विद्यालय में छात्रों के लिए साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डीएसपी अखिलेश कौशिक, डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह और साइबर सेल के प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह ने बच्चों को साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी।

कार्यक्रम में खासकर छात्रों को उनके ऑनलाइन जीवन से जुड़े खतरों जैसे फ़िशिंग, पासवर्ड हैकिंग और सोशल मीडिया की गोपनीयता के बारे में बताया गया। डीएसपी कौशिक ने बच्चों को साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जागरूक किया, जिसमें सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग, व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और संदिग्ध लिंक से बचने के उपाय शामिल थे। साथ ही, उन्होंने छात्रों को शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए मोटिवेशनल स्पीच दी, जिसमें उन्हें डिजिटल युग में जिम्मेदारी और सतर्कता से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया।

साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा विजयपुर में भी जारी

देर शाम बोईरदादर चौक, विजयपुर में मुख्य मार्ग के किनारे वार्डवासियों के लिए भी साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डीएसपी साइबर सेल, अभिनव उपाध्याय ने स्थानीय लोगों को साइबर अपराधों से सतर्क रहने की सलाह दी।

उन्होंने समकालीन साइबर अपराधों जैसे व्हाट्सएप हैकिंग, यूपीआई फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, और डिजीटल अरेस्ट जैसे मामलों पर विस्तार से चर्चा की। डीएसपी अभिनव ने बताया कि व्हाट्सएप हैकिंग के मामलों में अपराधी किसी का अकाउंट हैक करके धोखाधड़ी से धन मांगते हैं। वहीं, यूपीआई फ्रॉड में अपराधी नकली क्यूआर कोड या भुगतान अनुरोध का उपयोग करके पैसे चुराते हैं। सेक्सटॉर्शन के मामलों में अपराधी पीड़ितों को ब्लैकमेल करते हैं, और डिजीटल अरेस्ट जैसे मामलों में लोगों के डिजिटल उपकरणों को लॉक कर फिरौती मांगी जाती है।

इन खतरों से बचने के लिए उन्होंने सुझाया कि लोग अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें, सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें, और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता को सबसे कारगर उपाय बताया और सभी को सतर्क रहने की सलाह दी। राष्ट्रीय मानवधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो और द एसोसिशन ऑफ वी क्लब ऑफ इंडिया के सक्रिय सदस्यगण के साथ साइबर सेल की टीम मौजूद थी। दोनों कार्यक्रमों में लोगों की सक्रिय भागीदारी देखी गई और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की सराहना की गई।

एमसीएच अस्पताल में नवजात शिशुओं को किया गया उपहार वितरित

रायगढ़

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.के.चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में गत दिवस नवरात्रि के उपलक्ष्य में मातृ एवं शिशु अस्पताल में समस्त नवजात बच्चों को दुर्गा मां अमृतवाणी सेवा समिति द्वारा नये कपड़े व बेबी केयर सेट सहित, खिलौने, दूध बोतल इत्यादि सामानों का वितरण किया गया। जिसमें महिला मंडल समिति कोतरारोड से लक्ष्मी अग्रवाल, वर्षा अग्रवाल, रंजिता अग्रवाल, प्रतिमा अग्रवाल, संजू निगानिया, उषा निगानिया, प्रेमलता मित्तल, सुनिता, दीपा अग्रवाल, अखिल भारती, मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्ष शोभा अग्रवाल एवं डॉ आशीषन मिंज उपस्थित रहे।

खाद्य विभाग ने राइस मिलर पर की जांच, धान एवं चावल जब्त : कलेक्टर के निर्देश पर की गई कार्यवाई

- मिलरों को 28 अक्टूबर तक जमा करना होगा चावल

रायपुर । आरएनएस

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर आज खाद्य विभाग की टीम ने राइस मिलर में पहुंचकर जांच की। कार्रवाई करते हुए धान एवं चावल जब्त किया। खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि खाद्य विभाग की टीम ने आरंग के मेसर्स कृष्णा फूड्स में पहुंचकर जांच की और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए धान एवं चावल जब्त किया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने राईस मिलरों को आगामी 28 अक्टूबर 2024 तक नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने के निर्देश दिया। साथ ही प्रतिदिन जमा किए जाने वाले चावल की मानिटरिंग के लिए खाद्य विभाग को निर्देश जारी किया। साथ ही नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो को अवकाश के दिनों में भी खोले जाने के निर्देश दिया है। बैठक में अनुपस्थित राईस मिलरों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक को निर्देशित किया गया। साथ ही जिला विपणन अधिकारी को प्रतिदिन लक्ष्य अनुरूप नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा नहीं करने वाले राईस मिलर की बैंक गारंटी जब्त करने का निर्देश भी दिया। बैठक में अनुपस्थित राईस मिलर्स मेसर्स गोयल हर्ष, मेसर्स कृष्णा फूड्स, मेसर्स रानूलाल गांधी राईस मिल, मेसर्स गुरूनानक राईस इंडस्ट्रीज की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। बैठक में जिला खाद्य नियंत्रक, जिला विपणन अधिकारी एवं जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम तथा जिले के राईस मिलर्स उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक ने किया थाना धरमजयगढ़ और चौकी रैरूमाखुर्द का वार्षिक निरीक्षण

- गंभीर अपराधों की समयसीमा में जांच के निर्देश, बेहतर ड्यूटी के लिए जवानों को किया प्रोत्साहित

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक रायगढ़ दिव्यांग कुमार पटेल ने आज थाना धरमजयगढ़ और चौकी रैरूमाखुर्द का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान थाना धरमजयगढ़ में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी, निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर (थाना प्रभारी धरमजयगढ़), उप निरीक्षक मनीष कांत (चौकी प्रभारी रैरूमाखुर्द) और थाने के अन्य पुलिस स्टाफ उपस्थित रहे।

निरीक्षण की शुरुआत में पुलिस अधीक्षक को सशस्त्र जवानों ने सलामी दी, पुलिस अधीक्षक ने बेहतर टर्न आउट के लिए कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण करते हुए जवानों की राइफल एक्सरसाइज देखी और राइफलों की नियमित सफाई के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान लंबित अपराध, मर्ग, शिकायतें और जप्ती माल की गहन समीक्षा की गई। गंभीर अपराधों और शिकायतों पर विशेष ध्यान देते हुए पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने थाने के जरायम रजिस्टर, ग्राम अपराध पुस्तिका, माल खाना, बंदी कक्ष, और अन्य रजिस्टरों का भी निरीक्षण किया।

इसके अलावा, थाना परिसर की भूमि की जानकारी ली गई और एसडीओपी और थाना प्रभारी को भूमि का पुनः सीमांकन कराकर बाउंड्री निर्माण हेतु शीघ्र प्रस्ताव पीडब्लुडी को भेजने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाने में कर्मचारियों के लिए नए बैरक का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है, जिसका निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों और कर्मचारियों से उनकी व्यक्तिगत और ड्यूटी से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने सभी को बेहतर ड्यूटी करने और थाने में आने वाले हर व्यक्ति से सद्भावपूर्ण व्यवहार करने के निर्देश दिए। धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए इसे नियमित रूप से जारी रखने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के अंत में, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने थाना परिसर में वृक्षारोपण किया और पौधों की उचित देखभाल का निर्देश दिया। निरीक्षण दौरान एसपी स्टेनो अशोक देवांगन, रीडर प्रधान आरक्षक हीरा सिदार भी उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480